नैन सिंह भकुनि एवं अन्य

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

8 जनवरी, 1998

[एस. बी. मजमुदार, एस. साहिर अहमद और एम. जगन्नाधा राव जे. जे.]

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14,16 और 39-सेवा-वेतनमान की समानता-दो समूहों के बीच शैक्षिक योग्यता में असमानता, कर्मचारी-अपीलार्थी, केन्द्रीय जल आयोग में कार्यरत ड्राफ्ट्समैन (CWC) और CPWD में समान प्रकार का काम करने वाले ड्राफ्ट्समैन- निर्णित- CPWD ड्राफ्ट्समैन को वेतनमान के पूर्वव्यापी संशोधन का लाभ देने में व CWD ड्राफ्ट्समैन को नहीं देने में व्यवहार की कोई समानता नहीं है -

सेवा कानून।

अनुच्छेद 16- ट्रीब्यूनल अलग-अलग तथ्य स्थितियों में अन्य विभागों के कर्मचारियों को राहत प्रदान करता है, जिन्हें CPWD में ड्राफ्ट्समैन के समान रूप से सीमित किया गया था- मामले के विशिष्ट तथ्यों में अपीलकर्ता द्वारा लगभग स्वचालित रूप से लागू नहीं करवाया जा सकता है, जिसमें वे CPWD में अपने समकक्षों के समान स्थित नहीं हैं।

अनुच्छेद 136- अपील- वेतनमान के पूर्वव्यापी लाभ को लागू करने के संबंध में भेदभाव-विचार के लिए नहीं लाया गया- तथ्य का विवादित प्रश्न उठाता है- इस तरह के प्रश्न पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाए जा सकते हैं।

CWC ओर CPWD में ग्रेड I, II और III के ड्राफ्ट्समैन 1 जनवरी 1947 से 20 जून 1980 तक समान वेतनमान प्राप्त कर रहे थे। हालांकि CPWD के ड्राफ्ट्समैन के वेतनमान को 20 जून, 1980 को संशोधित किया गया, जो 1 जनवरी, 1973 से अनुमानित रूप से प्रभावी हुआ और 28 और 29 जुलाई, 1978 से एरीयर का लाभ दिया गया। CWC में कार्यरत अपीलकर्ताओं ने समानता का दावा करते हुए प्रत्यर्थी अधिकारियों को कई अभ्यावेदन दिए। भारत सरकार ने 13 मार्च, 1984 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया, जिसके तहत समान रूप से योग्यता रखने वाले सभी सरकारी विभागों में कार्य कर रहे ग्रेड I, II और III के ड्राफ्ट्समैन को संशोधित वेतनमान दिया जाना था। मध्यस्थ बोर्ड के द्वारा वर्ष 1980 में CPWD ड्राफ्ट्समैन को दिए गए मध्यस्थता अवार्ड के मद्देनजर, 1 मई, 1982 से प्रभाव में लाया जाकर, अनुमानित रूप से 16 नवंबर, 1978 से और वास्तव में 1 नवंबर, 1983 से प्रभावी था। उसके बाद 27 नवम्बर 1987 को भर्ती नियमों में संशोधन के अनुसार अपीलकर्ताओं के वेतनमान को संशोधित किया गया और 9 नवंबर 1987 से योग्यता के साथ भी CPWD के बराबर लाया गया।

अपीलकर्ताओं ने **CAT** के समक्ष प्रार्थना की कि उन्हें 9 नवंबर, 1997 के बजाय 1 जनवरी, 1973 से आंशिक रूप से अनुमानित और बाद में वास्तविक रूप से वेतनमान का लाभ दिया जाना चाहिए और उन्हें दिनांक 13.03.1984 के आधिकारिक ज्ञापन के अनुसार वेतनमान का वास्तविक और अनुमानित लाभ दिया जाना चाहिए।

इस अदालत के समक्ष अपील में अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि ड्राफ्ट्समैन के संशोधित वेतनमान का अनुमानित लाभ उन्हें 13 मई, 1982 से 31 अक्टूबर, 1983 के बजाय 1 जनवरी, 1973 से 16 नवंबर, 1978 तक दिया जाए।

न्यायालय द्वारा अपील को खारिज करते हुए, अभिनिर्धारित किया गया।

1. एक तरफ **CPWD** और दूसरी तरफ **CWC** में कर्मचारियों के दो समूहों के बीच भर्ती योग्यता में स्पष्ट अंतर था और इस प्रकार वेतनमान के पूर्वव्यापी संशोधन के लिए कोई स्वचालित संबंध और समानता नहीं हो सकती है। ट्रीब्यूनल ने मामले की इक्विटी पर विचार कर अपीलकर्ता को 1984 के कार्यालय ज्ञापन का लाभ देते हुए 1987 से वेतनमान का पूर्वव्यापी संशोधन कर सही किया था क्योंकि जहां तक अपीलकर्ताओं का संबंध का था, उनकी शैक्षिक योग्यताओ को **CPWD** में उनके समकक्षों की तुलना में समान कर दिया गया था।

UOI एवं अन्य बनाम देबाशीष कर एवं अन्य, [1995] **Supp. 3 SCC** 528, संदर्भित।

जसपाल एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य आदि, [1988] 3 **SCC** 354, अंतर किया गया [52-**F-G; B-C**]

2. ट्रीब्यूनल द्वारा अन्य मामलों में स्थापित अलग-अलग तथ्य स्थितियों के आधार पर अन्य विभागों में कर्मचारियों के संबंध में पारित न्यायिक आदेशों को वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों के मददेनजर अपीलार्थियों के मामले में स्वचालित रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, जिसमें वे **CPWD** में उनके समकक्षों के समान स्थित नहीं हैं। [56-**B**]

3. वेतनमान के पूर्वव्यापी लाभ के संबंध में भेदभाव के तर्क को ट्रिब्यूनल के समक्ष विचार के लिए कभी नहीं रखा गया था। इसलिए पहली बार विचारार्थ तथ्य का विवादित प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया जा सका। [55 **E-G**]

4. मध्यस्थ बोर्ड द्वारा **CPWD** ड्राफ्ट्समैन को दी गई राहत जिसे प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, यदि अपीलकर्ताआें को उपलब्ध हो गई थी, जो समान स्थिति में थे और सरकार के अन्य विभागों में ड्राफ्ट्समैन के समान कार्य कर रहे थे तो यह प्रश्न कि क्या वे ऐसे मध्यस्थ के पास गए थे या नहीं, महत्वहीन हो जाएगा। [50 **B-C**]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः 1991 की सिविल अपील सं. 2985

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में 1989 के मूल आवेदन संख्या 1 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 21.2.91 से।

अपीलार्थियों के लिए एम. एन. कृष्णमणि और पी. नरसिम्हन

प्रत्यर्थीयों के लिए श्रीमती अनिल कटियार के लिए एन. एन. गोस्वामी (सुश्री बीनू ताम्ता)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश **न्यायाधीश एस. बी. मजमुदार, जे**. के द्वारा पारित किया गया ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति प्रदान करके इस अपील के द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक ट्रीब्यूनल, नई दिल्ली की प्रधान पीठ द्वारा दिए गए फैसले और आदेश को चुनौती दी है। 429 मूल आवेदकों द्वारा ट्रीब्यूनल के समक्ष दायर 1989 के O.A. संख्या 1 में उन्हें पूर्ण राहत प्रदान नहीं की, जैसा कि उसमें अनुरोध किया गया था। इन अपीलार्थियों की शिकायतों को समझने के लिए कुछ परिचयात्मक तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक होगा।

पृष्ठभूमि तथ्य

अपीलकर्ता केंद्र जल आयोग ('CWC') संक्षेप में) में ड्राफ्ट्समैन के रूप में कार्यरत हैं। यह विवाद में नहीं है कि उक्त आयोग भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। इन अपीलकर्ताओं के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीसरे वेतन आयोग द्वारा यह देखा गया है कि

ड्राफ्ट्समैन को दिया जा रहा वेतनमान अपेक्षाकृत कम था और उसे उक्त आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार बढाने की आवश्यकता थी। अपीलकर्ताओं का मामला यह है 20 जून 1980 तक CWC और केंद्र लोक निर्माण विभाग (संक्षेप में 'CPWD') में ग्रेड I, II और III के ड्राफ्ट्समैन पहले, दूसरे और तीसरे वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के के आधार पर 1 जनवरी 1947 से 20 जून 1980 तक समान वेतनमान का लाभ ले रहे थे। हालाँकि CPWD के ड्राफ्ट्समैन के वेतनमान को संशोधित किया गया जाकर 20 जून 1980 को प्रभावी करते हुए बढाया गया आैर अनुमानित रूप से 1 जनवरी 1973 से तथा एरियर का वास्तविक लाभ 28 तथा 29 जुलाई 1978 से दिया गया। अपीलकर्ताओं का तर्क है कि वे CPWD में ड्राफ्ट्समैन के समान कार्य कर रहे थे और वे भी समान व्यवहार और CPWD में उनके समकक्ष ड्राफ्ट्समैन को दिए गए वेतनमान के समान ही संशोधित वेतनमान, अनुमानित और वास्तविक के हकदार थे। उन्होंने प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को कई अभ्यावेदन दिए। लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हुआ। अपीलकर्ताओं के भर्ती नियमों को 1982 में संशोधित किया गया था। प्रत्यर्थी प्राधिकारियों ने CWC में ड्राफ्ट्समैन कैडर की कैडर समीक्षा के उद्देश्य से एक उप-समिति का गठन किया। अपीलकर्ताओं के अनुसार उप-समिति के द्वारा सिफारिश की गई कि CPWD में ड्राफ्ट्समैन की तुलना में CWC में ड्राफ्ट्समैन के वेतनमान के संबंध में पैदा हुई विसंगति को ठीक किया जाए और ड्राफ्ट्समैन के वेतनमान को CPWD ड्राफ्ट्समैन को

मध्यस्थता बोर्ड द्वारा दिए गए वेतनमान के बराबर लाया जाए। लेकिन इन सिफ़ारिशों के बावजूद कुछ नहीं हुआ। अंततः वित्त मंत्रालय ने 13 मार्च 1984 को एक ज्ञापन जारी किया जिसके अनुसार 1980 में CPWD ड्राफ्ट्समैन को मध्यस्थता बोर्ड द्वारा दिए गए अवार्ड के मद्देनजर सभी सरकारी विभागों में कार्यरत समान रूप से योग्यता प्राप्त सभी ड्राफ्ट्समैन ग्रेड I, II और III के वेतनमान को 1 मई 1982 से संशोधित किया जाए। उसके बाद 27 नवंबर 1987 को ड्राफ्ट्समैन के भर्ती नियमों में संशोधन किया गया और परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं के वेतनमान को संशोधित किया गया और 9 नवंबर 1987 से लागू किया जाकर CPWD ड्राफ्ट्समैन के बराबर लाया गया। अपीलकर्ताओं की शिकायत यह है कि वेतनमान की समानता उन्हें उसी आधार पर दी जानी चाहिए थी जिस तर्ज पर CPWD ड्राफ्ट्समैन को संशोधित वेतनमान का लाभ दिया गया, पहली जनवरी 1973 से आंशिक रूप से अनुमानित रूप से और उसके बाद वास्तव में। इसलिए, अपीलकर्ताओं ने अभ्यावेदन दिया कि उनके वेतनमान को CPWD ड्राफ्ट्समैन के संशोधित वेतनमान के समान ही 9 नवंबर 1987 के बजाय 1 जनवरी 1973 से संशोधित किया जाए। उनका अभ्यावेदन असफल रहने पर अपीलकर्ताओं ने उपरोक्त O.ए. 1989 का नंबर 1 के जरिए केंद्रीय प्रशासनिक ट्रीब्यूनल का रुख किया। जिस राहत के लिए प्रार्थना की गई थी वह यह थी कि अपीलकर्ताओं को संशोधित वेतनमान के भुगतान करने का आदेश जो प्रत्यर्थीयों द्वारा दिनांक 9 नवम्बर 1987 से लागू किया गया है,

उसे जनवरी 1973 से लागू किया जावे। उक्त प्रार्थना इस आधार पर थी कि CWC में ग्रेड I, II और III के ड्राफ्ट्समैन CPWD में ड्राफ्ट्समैन के समान प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे और उनकी योग्यताएं भी काफी हद तक समान थीं और परिणामस्वरूप वे संशोधित वेतनमान के संबंध में जैसा कि CPWD में उनके समकक्षों को दिया गया था, समान उपचार पाने के हकदार थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ट्रीब्यूनल आक्षेपित निर्णय के पैरा 9 में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह आवश्यक नहीं है समान वेतनमान के आवंटन के लिए प्रश्नगत पदों काे बिल्कुल समान होना चाहिए। यह आवश्यक है कि पदों से जुड़ी जिम्मेदारियां और कर्तव्य मोटे तौर पर तुलनीय और प्रकृति में समान होने चाहिए। ट्रिब्यूनल ने आगे कहा कि भर्ती में योग्यता की शर्तों में ढील दी जाकर 9 नवंबर 1987 से CWC ड्राफ्ट्समैन की योग्यताएं CPWD ड्राफ्ट्समैन के बराबर लाई गईं हैं। इस संबंध में ट्रिब्यूनल ने दो मुख्य बातें नोट कीं जो मामले के रिकॉर्ड पर उभरती हैं। सबसे पहले यह देखा गया कि मध्यस्थता बोर्ड के अवार्ड के मद्देनजर जिसमें उनके समक्ष CPWD ड्राफ्ट्समैन द्वारा विवाद उठाया जाकर निर्णय हेतु रखा गया था, CPWD के ड्राफ्ट्समैनों के वेतनमान में संशोधन कर 1 जनवरी 1973 से अनुमानित संशाेधित वेतनमान और 28/29 जुलाई 1978 से बकाया प्रदान किया गया। CWC ड्राफ्ट्समैन के संबंध में ऐसा कोई विकास नहीं हुआ था। ट्रिब्यूनल द्वारा नोट की गई दूसरी विशिष्ट विशेषता यह थी कि प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी

O.M. दिनांकित 13 मार्च 1984 के आधार पर सरकार में अन्य विभागों में ड्राफ्ट्समैन के वेतनमान में दिनांक 13 मई 1982 से अनुमानित संशोधन आैर 1 नवंबर 1983 से वास्तविक भुगतान के लाभ की अनुमति दी गई थी। तदनुसार ट्रीब्यूनल द्वारा अपीलकर्ताओं को समान लाभ उपलब्ध कराया गया। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ता द्वारा अपील की विशेष अनुमति की मंजूरी पर वर्तमान अपील O.A में पारित उपरोक्त निर्णय से आंशिक रूप से व्यथित होकर ड्राफ्ट्समैन के संशोधित वेतनमान के अनुमानित लाभ की मांग 13 मई 1982 से 31 अक्टूबर, जैसा कि ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया, के बजाए 1 जनवरी 1973 से 16 नवंबर 1978 तक दिए जाने हेतु दायर की है। उनका आगे का दावा यह है कि संशोधित वेतनमान के एरियर का लाभ उन्हें 1 नवंबर 1983 से नहीं दिया जाए जैसा कि ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया था, बल्कि 16 नवंबर 1978 से 13 मई 1982 तक दिया जाए। हम इस स्तर पर उल्लेख कर सकते हैं कि इस बीच प्रत्यर्थी प्राधिकारियों ने ट्रिब्यूनल के निर्णय एवं आदेश के उस भाग से व्यथित होकर जिसके द्वारा अपीलकर्ताओं को उपरोक्त सीमित राहत दी गई थी, के विरूद्ध एक क्रॉस-स्पेशल लीव पिटीशन नंबर 0992/1991 भी दायर किया था। इस न्यायालय की एक पीठ ने 26 जुलाई 1991 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ताओं को S.L.P (C) क्रमांक 11268 सन् 1991 में अपील करने के लिए को विशेष अनुमति प्रदान की जिसमें से वर्तमान अपील उत्पन्न होती है आैर आदेशित किया कि उक्त अपील को प्रत्यर्थीयों द्वारा प्रस्तुत 1991

की S.L.P (C) संख्या 10992 के साथ टैग किया जाए जिसमें प्रत्यर्थीयों द्वारा आक्षेपित निर्णय के विरूद्ध अपील पेश की थी। दिनांक 22 जुलाई 1991 को स्पेशल लीव पिटीशन में अपील की अनुमित दी गई और इसे 1991 की सिविल अपील संख्या 2936 के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसलिए, दोनों अपीलों पर एक साथ सुनवाई की जानी थी। जब इन अपीलों की सुनवाई न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष जनवरी 1995 को पहुंची तो अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने कहा कि इससे पहले कई प्राधिकारियों ने समान रूप से स्थित ड्राफ्ट्समैन को 1 जनवरी 1973 से समान राहत और 1978 से वेतन दिया था। इसलिए, भारत संघ की आेर से वकील को मामले पर गौर करने और यह देखने का निर्देश दिया गया कि क्या उक्त तथ्य सही है, ताकि एकरूपता कायम रखी जा सके। इसके बाद जब ये अपीलें 8 अप्रैल 1997 को इस न्यायालय के समक्ष आगे की अंतिम सुनवाई के लिए पहुंचीं, तो 1991 की क्रॉस-सिविल अपील संख्या 2936 पर प्रत्यर्थीयों के विद्वान वकील ने दबाव नहीं डाला, जिन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल का विवादित आदेश पहले ही लागू किया जा चुका था और इस न्यायालय का निर्णय *भारत संघ और अन्य बनाम देबाशीष कर और अन्य* (1995] अनुपूरक 3 SCC 528, जो स्पष्ट रूप से वर्तमान प्रत्यर्थीयों, जो उक्त क्रॉस-अपील में अपीलकर्ता थे, के विरूद्ध आकर्षित हुआ है। इसलिए, उसके बाद केवल वर्तमान सिविल अपील बची रही।

इस अपील में सचिव, केंद्रीय जल आयोग ने 2 नवंबर 1992 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबी हलफनामा दायर किया है। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से इस न्यायालय के निर्देश की पालना में 9 जनवरी 1995 को एक और हलफनामा भी दायर किया गया था आैर इस न्यायालय के आदेश 8 अप्रैल 1997 को दोहराया गया जिसमें प्रत्यर्थीयों का अन्य सरकारी विभागों में ड्राफ्ट्समैन के लिए दिए गए वेतनमान की एकरूपता के संबंध में जो भी सामग्री एकत्र की गई हो उसे हलफनामे के साथ रिकॉर्ड पर रखना आवश्यक था। अपीलकर्ताओं ने अपनी बारी में अपीलकर्ताओं की ओर से अपीलकर्ता संख्या 1 का उत्तर-शपथ पत्र दायर किया है।

जब यह अपील 12 नवंबर 1997 को इस न्यायालय के समक्ष आगे की सुनवाई के लिए पहुंची तो हमें *देबाशीष कर* (सुप्रा) के मामले में निर्णय के बारे में सूचित किया गया जिसका इस न्यायालय ने ट्रीब्यूनल के उसी निर्णय के खिलाफ, जहाँ तक अपीलकर्ताओं को दी गई राहत तीन विद्वान न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के समक्ष जांच के लिए लंबित है, प्रत्यर्थीयों की क्रॉस-अपील को खारिज करते समय सहारा लिया था। परिणामस्वरूप यह अपील बड़ी पीठ के निर्णय की प्रतीक्षा में स्थगित कर दी गई। इसके बाद यह हमारे ध्यान में लाया गया कि बड़ी पीठ ने 2 दिसंबर 1997 के अपने फैसले से संदर्भित सिविल अपील संख्या 11477-11479/1995 को खारिज

कर दिया और *देबाशीष कर* (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के फैसले को दोहराया। तीन जजों की बेंच ने ट्रिब्यूनल के निर्णय की पुष्टि की जिसमें उनके समक्ष आक्षेपित निर्णयों में यह देखा गया कि ट्रिब्यूनल ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) में ड्राफ्ट्समैन ग्रेड II और ग्रेड III और CPWD में ड्राफ्ट्समैन ग्रेड I और 11 के पद की शैक्षिक योग्यता पर विचार किया था और यह माना गया कि DRDO में अपीलकर्ता समान वेतनमान के हकदार नहीं थे। यह भी देखा गया कि डीआरडीओ में ग्रेड II और ग्रेड III ड्राफ्ट्समैन के पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यताआें पर विचार करने के बाद, आैर डीआरडीओ में ग्रेड II और ग्रेड III और ड्राफ्ट्समैन ग्रेड III, ग्रेड II और ग्रेड I के पदों के लिए निर्धारित योग्यताओं के साथ तुलना करते हुए, इस अदालत का विचार था कि ट्रिब्यूनल ने उनके समक्ष अपीलकर्ताओं के दावे को सही ढंग से खारिज कर दिया था। तदनुसार सभी अपीलें खारिज कर दी गईं। इसके बाद जब यह अपील हमारे सामने आगे की सुनवाई के लिए पहुंची अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एम.एन. कृष्णमणि आैर प्रत्यर्थीयों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एन.एन. गोस्वामी के द्वारा अपने संबंधित मामलों के समर्थन में उठाया गया तर्क निम्नलिखित हैं-*प्रतिद्वंद्वी तर्क*

अपीलकर्ताओं के वरिष्ठ वकील श्री कृष्णमणि ने अपील के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया कि ट्रिब्यूनल पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका है कि CWC में ड्राफ्ट्समैन CPWD में अपने समकक्षों के समान ही काम कर रहे

थे। यह भी देखा गया है कि 1987 से उनकी योग्यताएं भी बराबर कर दी गईं थी। अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार CWC में ड्राफ्ट्समैन के वेतनमान कम से कम 1 जनवरी 1947 से 20 जून 1980 तक CPWD के बराबर थे और उसके बाद जब CPWD में ड्राफ्ट्समैन ग्रेड I, II और III के वेतनमान ऊपर की ओर संशोधित हुए तब अपीलकर्ताओं का वेतनमान वही रहा और 1987 तक उन्हें भी बराबर कर दिया गया। इसलिए, अंतराल के लिए भी अपीलकर्ताओं को वेतनमान के दृष्टिकोण से CPWD में उनके समकक्षों के समान माना जाना आवश्यक था। इस संबंध में अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ताओं को केवल इस आधार पर सीमित राहत दी है कि CPWD में ड्राफ्ट्समैन को एक अवार्ड का लाभ मिला है जबकि अपीलकर्ताओं को ऐसा कोई लाभ नहीं मिला है। लेकिन यह एक आकस्मिक परिस्थिति है। समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर अपीलकर्ता CPWD के ड्राफ्ट्समैन के बराबर उपचार पाने के हकदार थे। अन्यथा भी विभाग की उप-समिति ने पहले ही अपीलकर्ताओं के लिए CPWD में ड्राफ्ट्समैन के समान वेतनमान की समानता की सिफारिश की थी। आगे यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि CPWD में काम करने वाले लोगों की तुलना में CWC में काम करने वाले ड्राफ्ट्समैन की योग्यता में वस्तुतः अंतर नहीं था है और परिणामस्वरूप ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ताओं को प्रार्थना के अनुसार पूर्ण राहत नहीं देकर गलती की है। यह भी तर्क दिया गया कि *देबाशीष*

कर (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले ने, 1984 के O.M. पर भरोसा करते हुए, O.M. के आलोक में उस मामले में प्रत्यर्थीयों द्वारा मांगी गई समता की सीमित शिकायत पर विचार किया था और उनके द्वारा जहां तक संशोधित वेतनमान का प्रश्न है, CPWD ड्राफ्ट्समैन के समान 1 जनवरी 1973 से अनुमानित लाभ आैर 16 नवंबर 1987 से संशोधित वेतनमान के वास्तविक लाभ का अनुतोष नहीं चाहा था और परिणामस्वरूप इस न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय या इस मामले में बाद की तीन जजों की बेंच का फैसला भी अपीलकर्ताओं के रास्ते में नहीं आएगा क्योंकि तीसरे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आलोक में CWC और CPWD में ड्राफ्ट्समैन के बीच कोई बुनियादी असमानता नहीं थी, जब इन सिफारिशों को, जहां तक CPWD ड्राफ्ट्समैन का संबंध है, प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार किया गया था। नतीजतन, जब CWC में ड्राफ्ट्समैन एक ही प्रकार का काम कर रहे थे और भर्ती के लिए उनके पास काफी हद तक समान योग्यताएं थीं, तो कोई कारण नहीं था कि अपीलकर्ताओं को समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर समान व्यवहार नहीं दिया जाना चाहिए जैसा कि CPWD में उनके समकक्षों के साथ किया गया था।

अपीलकर्ताओं के लिए वरिष्ठ वकील श्री कृष्णमणि ने आगे कहा तर्क दिया कि 1984 के O.M. के बावजूद केंद्र सरकार के अधिकारियों ने अन्य सरकारी विभागों में काम करने वाले समान स्थिति वाले ड्राफ्ट्समैन को बड़ी अवधि के लिए वेतनमान का पूर्वव्यापी लाभ दिया था और प्रत्यर्थीयों

के पास उसी O.M. के कार्यान्वयन के संबंध में अपीलकर्ताओं को इस तरह के समान व्यवहार से इनकार करने का कोई कारण नहीं था। उन्होंने विभिन्न विभागों के विभिन्न उदाहरणों का सहारा लिया गया जिनमें उक्त लाभ दिया गया था।

दूसरी ओर प्रत्यर्थीयों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री गोस्वामी ने प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ताओं का नामकरण CPWD में उनके समकक्षों से भिन्न था। भर्ती की उनकी योग्यताएं भी कम से कम 1987 तक अलग-अलग थीं जब उन्हें समान स्तर पर लाया गया था और इसलिए, वे समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर कोई राहत पाने के हकदार नहीं थे। हालाँकि 1984 के O.M. की वजह से O.M. द्वारा निर्देश के अनुसार ही ट्रिब्यूनल ने अन्य सभी सरकारी विभागों में ड्राफ्ट्समैन को भुगतान किये जाने की राहत दी है, इसलिए अपीलकर्ताओं के लिए किसी भी बेहतर अधिकार का दावा करने का कोई कारण नहीं था, खासकर जब 1973 से 1982 तक की प्रासंगिक अवधि और यहां तक कि 1987 तक ड्राफ्ट्समैन के रूप में अपीलकर्ताओं की योग्यताएं CPWD में ड्राफ्ट्समैन ग्रेड I , II और III से भिन्न थीं। इसलिए, अपीलकर्ता स्वचालित रूप से उस अवधि के लिए उन ड्राफ्ट्समैन के वेतनमान के साथ किसी भी समानता का दावा नहीं कर सकते हैं। वे कर्मचारियों के एक अलग वर्ग का हिस्सा हैं। इस प्रकार प्राधिकारियों द्वारा अपीलकर्ताओं को ट्रिब्यूनल द्वारा माने गए वेतनमान को देकर उनके साथ

कोई भेदभाव नहीं किया गया लेकिन चूंकि प्रत्यर्थीयों के खिलाफ ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम हो गया है, ऐसे में इस स्तर पर विद्वान वरिष्ठ वकील ने ट्रिब्यूनल द्वारा अपीलकर्ताओं को जो भी राहत दी गई थी, उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन उनके द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलकर्ताओं को कोई और राहत नहीं दी जा सकती है।

प्रत्यर्थीयों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कृष्णमणि के वैकल्पिक तर्क पर आपत्ति करते हुए कहा कि O.M. के बावजूद 1984 में अन्य सरकारी विभागों में विभिन्न ड्राफ्ट्समैनों जो समान स्थिति में थे, को और राहत दी गई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें जो भी राहत दी गई वह ट्रिब्यूनल के निर्णयों की पालना हेतु प्रत्यर्थीयों के बाध्य होने से दी गई थी। अपीलकर्ताओं ने ऐसा कोई विवाद ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया था। इस संबंध में उन्होंने हमारा ध्यान प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा मई 1997 में ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर अतिरिक्त हलफनामे में दिए गए कथनों की ओर आकर्षित किया। इसलिए, उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि उनके मामले अपीलकर्ताओं के साथ तुलनीय नहीं थे और परिणामस्वरूप उस आधार पर किसी भी भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं था।

विचारणीय बिंदु

उपरोक्त प्रतिद्वंद्वी तर्कों को ध्यान में रखते हुए हमारे विचार के लिए निम्नलिखित बातें उठती हैं:

1. क्या ट्रिब्यूनल ने ड्राफ्ट्समैन के लिए संशोधित वेतनमान 1 जनवरी 1973 से 16 नवंबर 1978 तक अनुमानित रूप से और वास्तव में 16 नवंबर 1978 से 13 मई 1982 तक बकाया संशोधित वेतनमान न देकर गलती की थी।

1. किसी भी स्थिति में, क्या प्रत्यर्थी-प्राधिकारियाें द्वारा 1984 के O.M. को अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत समान रूप से स्थित ड्राफ्ट्समैन के मामलों में कमजोर कर दिया गया था- और क्या उस आधार पर भी अपीलकर्ता अनुमानित और वास्तविक लाभों के पूर्वव्यापी अनुदान की समान राहत के हकदार हैं।

हम सिलसिलेवार इन बिंदुओं से निपटेंगे।

बिंदू संख्या 1-

जहां तक इस बिंदु का संबंध है, ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से नोट किया है कि CWC में ड्राफ्ट्समैन की भर्ती योग्यताएं CPWD में ग्रेड I, II और III के ड्राफ्ट्समैन की योग्यता के बराबर नहीं थी और वे केवल 9 नवंबर 1987 से सममूल्य लाए गए। यह निश्चित रूप से सच है कि इसके बावजूद ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ताओं को वेतनमान में अनुमानित वृद्धि के माध्यम से अतिरिक्त राहत दी थी और इसलिए, उससे वेतनमान

की समानता उस दिन से सक्रिय हो गई थी। ट्रिब्यूनल ने इस तथ्य को नोट किया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि O.M. 1984 ने अन्य विभागों में ड्राफ्ट्समैन के मामले में वेतनमान में पूर्वव्यापी प्रभाव से 13 मई 1982 से 31 अक्टूबर 1983 तक अनुमानित रूप से और वास्तव में 1 नवंबर 1983 से बढ़ोतरी की थी, एसे में यही राहत अपीलकर्ताओं को भी दी जा सकती है। अपीलकर्ताओं के पक्ष में वह आदेश अंतिम हो गया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ता अतिरिक्त राहत चाहते हैं, जहां उक्त राहत का प्रश्न है, ट्रिब्यूनल ने उस राहत से इनकार करने के दो कारण बताए हैं। सबसे पहले इसलिए क्योंकि CPWD के ड्राफ्ट्समैन मध्यस्थता बोर्ड के समक्ष गए थे जिसने उनके पक्ष में ऐसी राहत की सिफारिश की थी जबकि CWC ड्राफ्ट्समैन ऐसे मध्यस्थता बोर्ड के समक्ष नहीं गए थे और दूसरा इसलिए क्योंकि उनकी शैक्षणिक योग्यताएं अलग थीं। हमारे विचार में, कर्मचारियों के इन दो समूहों के मामले को अलग करने के लिए ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया पहला आधार उचित नहीं है। हम अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील से सहमत हैं कि केवल इसलिए कि अपीलकर्ता मध्यस्थता बोर्ड के पास नहीं गए थे, यदि उक्त मध्यस्थता बोर्ड द्वारा CPWD ड्राफ्ट्समैन को दी गई राहत जिसे प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया वह उन अपीलकर्ताओं के लिए उपलब्ध हो गया जो समान रूप से स्थित थे और सरकार के अन्य विभागों के ड्राफ्ट्समैन के समान प्रकार का कार्य कर रहे थे, तो यह सवाल कि क्या वे इसी तरह की

मध्यस्थता के लिए गए थे या नहीं, महत्वहीन हो जाएगा। हालाँकि जहाँ तक दूसरे आधार का प्रश्न है, जिस पर ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ताओं को उपरोक्त सीमित राहत दी है, हम उसे उचित पाते हैं। वज़ह स्पष्ट है। जैसा कि अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा तर्क दिया गया था,भले ही अपीलकर्ताओं के पास 1965 से पहले के CPWD ड्राफ्ट्समैन की तरह, समान स्केल हों, और यहां तक कि यह मानते हुए भी कि वेतनमान की समानता लगभग समान भर्ती योग्यता के आधार पर थी, इसके बाद वेतनमान के साथ-साथ शैक्षणिक योग्यता के संबंध में भी एक तीव्र दरार आ गई थी आैर कम से कम 1965 के बाद से कर्मचारियों के इन दो समूहों की भर्ती की शैक्षणिक योग्यताआें की समानता समाप्त हो गईं और वेतनमान वही रहे परंतु 1980 के बाद वेतनमान समानता भी बाधित हो गई थी। अपीलकर्ताओं के मामले में 1 जनवरी 1975 से अनुमानित लाभ के लिए और 16 नवंबर 1978 से वास्तविक लाभ के मामले में एक आेर CPWD में ड्राफ्ट्समैन और दूसरी ओर CWC में ड्राफ्ट्समैन भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यताओं की प्रकृति के आलोक में जांच करनी होगी। इसे भी नोट करना आवश्यक होगा, जैसा कि 2 नवंबर 1992 में दायर 14 अक्टूबर 1992 के जवाबी हलफनामे में पेपर बुक के पृष्ठ 104 पर पैराग्राफ 31 में बताया गया है कि अपीलकर्ताओं द्वारा CPWD के ड्राफ्ट्समैन के साथ की गई तुलना काफी भ्रामक है, यहां तक कि ड्राफ्ट्समैनों का ग्रेड, III, II और I नामकरण, जो CPWD में प्रचलित थे

आैर 6 अगस्त 1986 और 9 नवंबर 1987 की अधिसूचना जारी होने के बाद CWC इकाई में प्रचलित नहीं थे। इसके अलावा, जहां तक शैक्षणिक योग्यता का सवाल है प्रत्यर्थी नंबर 1 की ओर श्री बी.आर.शर्मा के मई 1997 के शपथ पत्र के अनुलग्नक II भर्ती नियमों के तुलनात्मक विवरण के पृष्ठ 193 से प्रकट होता है कि 20 जून 1980 के मध्यस्थता अवार्ड से पहले, CPWD में ड्राफ्ट्समैन ग्रेड III, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड II और ड्राफ्ट्समैन ग्रेड I के तीन ग्रेड थे, जबकि CWC में संबंधित कैडर ट्रेसर, जूनियर ड्राफ्ट्समैन और सीनियर ड्राफ्ट्समैन के थे। जहाँ तक ड्राफ्ट्समैन ग्रेड III, जिसके साथ CWC में ट्रेसर्स के वेतनमान की समानता मांगी गई है, के लिए भर्ती योग्यता भिन्न थी, जैसा कि उक्त परिशिष्ट से देखा जा सकता है। CPWD में ग्रेड III ड्राफ्ट्समैन के रूप में भर्ती किये जाने के लिए ड्राफ्ट्समैनशिप में दो साल का डिप्लोमा आवश्यक था, जबकि CWC में ट्रेसर की सीधी भर्ती के लिए मैट्रिकुलेशन और ट्रेसिंग में दो साल का अनुभव आवश्यक था। CPWD में ड्राफ्ट्समैन ग्रेड II में एेसे कर्मचारी शामिल थे जिनमें से 100% पदों पर तीन वर्षों की सेवा वाले ड्राफ्ट्समैन ग्रेड III को पदोन्नत किया जा सकता था आैर CPWD में ड्राफ्ट्समैन ग्रेड I पद ड्राफ्ट्समैन ग्रेड II द्वारा आठ वर्ष की सेवा के साथ प्राप्त किया जा सकता था। जबकि दूसरी ओर, जहां तक CWC में जूनियर ड्राफ्ट्समैन का संबंध था, जो 20 जून 1980 तक CPWD में ड्राफ्ट्समैन ग्रेड II के समान वेतनमान पर थे और जिनके साथ अपीलकर्ताओं द्वारा पूर्वव्यापी रूप से

वेतनमान की समानता की मांग की गई है, ट्रेसर को 75% की सीमा तक तीन साल की सेवा के साथ ड्राफ्ट्समैनशिप में दो साल का डिप्लोमा रखने वाले योग्य ट्रेसरों में से या कुल छह साल की सेवा के साथ विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले व्यक्तियों में से पदोन्नति द्वारा पदोन्नत किया जा सकता था, जहां तक CWC में सीनियर ड्राफ्ट्समैन जिनका 20 जून 1980 से पहले CPWD में ड्राफ्ट्समैन ग्रेड I के बराबर वेतनमान का संबंध है, CWC में यदि जूनियर ड्राफ्ट्समैन के पास तीन साल का अनुभव हो तो उसे सीनियर ड्राफ्ट्समैन के पद पर पदोन्नत किया जा सकता था। इस प्रकार अनुभव के साथ-साथ योग्यता की दृष्टि से भी CPWD ड्राफ्ट्समैन ग्रेड III और CWC ट्रेसर कैडरों में जमीनी स्तर पर में भारी अंतर था और इन दोनों कैडरों में जमीनी स्तर के कैडरों से आगे की पदोन्नति के उनके चैनलों में अलग-अलग अनुभव की भी आवश्यकता होती है। अतः यह नहीं कहा जा सका योग्यता के अनुसार निचले स्तर पर या सेवा के उच्च पदों पर CWC ड्राफ्ट्समैन CPWD में अपने समकक्ष ग्रेड III, II और I की तुलना में समान रूप से स्थित थे। परिणामस्वरूप तीसरे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा वेतनमान में बढ़ोतरी के लिए की गईं सामान्य सिफारिशों, जिन्हें सरकार के प्राधिकारियों द्वारा भारत संघ के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं में ड्राफ्ट्समैनों के लिए आवश्यक परिवर्तनों के साथ अपनाया गया, में भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर दोष नहीं पाया जा सका है। ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों पर अपीलकर्ताओं को जो भी अधिकतम लाभ

उपलब्ध कराया जा सकता था वह ट्रिब्यूनल द्वारा उन्हें 1984 के उपरोक्त O.M. के आधार पर 13 मई 1982 से वेतनमान में अनुमानित वृद्धि के उद्देश्य से आैर वास्तविक रूप से 1 नवम्बर 1983 से अन्य विभागों के ड्राफ्ट्समैन के बराबर मानकर दिया जा चुका है। प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से श्री पी.सी. जैन द्वारा दायर प्रति शपथ पत्र का अनुलग्नक R-4। में पेपर बुक के पृष्ठ 148 पर उक्त O.M. पर एक नजर डाली जाए तो प्रकट होता है कि राष्ट्रपति को यह निर्णय लेने में प्रसन्नता हुई कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अलावा, भारत के सरकारी कार्यालयों/विभागों में ड्राफ्ट्समैन ग्रेड III, II और I के वेतनमान को उपरोक्त के अनुसार संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते उनकी भर्ती योग्यताएं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में ड्राफ्ट्समैन के मामले में निर्धारित मानदंडों के समान हों। जो लोग उपरोक्त भर्ती योग्यताएं पूरी नहीं करते थे उन्हें पूर्व-संशोधन स्केल में बने रहना था। आगे निर्देशित किया गया कि वेतनमान के इस पुनरीक्षण का लाभ 13.5.1982 से अनुमानित रूप से दिया जाएगा और वास्तविक लाभ 01.1.83 से प्रभावी होने की अनुमति दी जाएगी। यह तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि उस O.M. का लाभ पाने के लिए कर्मचारियों को यह दिखाना था कि उनकी भर्ती योग्यताएं CPWD ड्राफ्ट्समैन के समान थीं। अपीलकर्ताओं के मामले में उक्त समानता केवल 1987 में प्राप्त की गई थी। इसलिए सख्ती से कहें तो O.M. द्वारा सरकार के अन्य विभागों में समान रूप से स्थित ड्राफ्ट्समैन को दिए गए अनुमानित लाभ और वास्तविक लाभ दिए

जाने का आदेश अपीलकर्ताओं पर लागू नहीं होता था। लेकिन ट्रिब्यूनल ने मामले की इक्विटी पर विचार किया और माना कि जहां तक अपीलकर्ताओं का प्रश्न है 1987 से उनकी शैक्षणिक योग्यताएँ CPWD में अपने समकक्षों की तुलना में समान स्तर पर ला दी गईं थी और अपीलकर्ताओं को 1984 के O.M. का लाभ वेतनमान के पूर्वव्यापी संशोधन के लिए उसी तर्ज पर दिया गया जो अन्य सरकारी विभागों में समान रूप से स्थित ड्राफ्ट्समैन को दिया गया था। अपीलकर्ताओं को O.M. के निर्देशों से परे आगे कोई राहत देने से ऐसी स्थिति पैदा होगी जिसमें अपीलकर्ताओं को अन्य सरकारी विभाग में समकक्षों की तुलना में अधिक अनुकूल उपचार मिलेगा और इसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं के पक्ष में उल्टा भेदभाव होगा। यह जानना भी दिलचस्प है हालाँकि यह O.M. ट्रिब्यूनल के समक्ष रिकॉर्ड पर उपलब्ध था और जिस पर प्रत्यर्थीयों द्वारा सहारा लिया गया था, उस O.M. को चुनौती देने के लिए अपीलकर्ताओं ना तो ट्रिब्यूनल के समक्ष और न ही S.L.P. में कोई प्रयास किया गया था। इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं ने अपना मामला केवल CPWD ड्राफ्ट्समैन के साथ भेदभाव के आधार पर रखा, जो उनके अनुसार लगभग अपीलकर्ताओं के समान ही स्थित थे। बेशक, यह सच है कि ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ताओं के पक्ष में कहा है कि वे CPWD में अपने समकक्षों के समान ही काम कर रहे थे, लेकिन ऐसा पर्याप्त नहीं है। यदि एक ओर CPWD और दूसरी ओर CWC में कर्मचारियों के दो सेटों के बीच भर्ती

योग्यता में स्पष्ट अंतर था, तो वेतनमान में पूर्वव्यापी संशोधन के प्रभाव के लिए स्वचालित लिंकेज और उपचार की समानता नहीं हो सकती है, जैसा कि अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा तर्क दिया गया।

इस संबंध में हम *देबाशीष कर* (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ ले सकते हैं, जिसमें हममें से एक एस. सगीर अहमद, जे., एक पक्ष थे। उस मामले में ट्रिब्यूनल ने आयुध कारखानों के साथ-साथ EME में सेना बेस कार्यशालाओं में काम करने वाले ड्राफ्ट्समैन को CPWD में उनके समकक्षों को 13 मार्च 1984 के सरकारी ज्ञापन द्वारा दी गई बढ़ोतरी के समान ही उनके वेतनमान में वृद्धि की उपचार की समानता प्रदान की थी। के जाएगी। का संबंध था. यह देखा गया कि पहले, दूसरे और तीसरे केंद्रीय वेतन आयोग के आधार पर तय किए गए वेतनमान में आयुध कारखानों के ट्रेसर को हमेशा से ही CPWD में ग्रेड II ट्रेसर/ड्राफ्ट्समैन के बराबर माना जाता रहा है और और आयुध कारखानों में ड्राफ्ट्समैन हमेशा से CPWD में सहायक ड्राफ्ट्समैन/ड्राफ्ट्समैन ग्रेड II के बराबर माना जाता था और तदनुसार वे O.M. के लाभ के हकदार थे। इसलिए उक्त निर्णय ने उपरोक्त O.M. दिनांक 13 मार्च 1984 के आधार पर प्राधिकारियों की कार्रवाई को बरकरार रखा। यह वही O.M. है जिसे ट्रिब्यूनल ने वर्तमान अपीलकर्ताओं के पक्ष में प्रभावी किया है। इन परिस्थितियों में हमारा विचार है, की इस मामले के तथ्यों पर जैसा कि हमने चर्चा की है,

अपीलकर्ताओं को ट्रिब्यूनल ने जो राहत दी है, उन्हें इससे अधिक कोई राहत नहीं दी जा सकती है ।

हम इस न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ द्वारा 2 दिसंबर 1997 को 1995 की सिविल अपील संख्या 11477-11479 ,में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख कर सकते हैं जिसमें रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में कार्यरत ड्राफ्ट्समैन को, दिनांक 13 मार्च 1984 के O.M. के आलोक में CPWD में ड्राफ्ट्समैन ग्रेड I और II के लिए उपलब्ध कराए गए उपचार की समानता का हकदार नहीं पाया गया क्योंकि उनकी शैक्षणिक योग्यताएं अलग थीं । इसलिए, इस न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ के उपरोक्त निर्णय के आलोक में इसे मानना चाहिए की वास्तव में अपीलकर्ताओं को 13 मार्च 1984 की तारीख के O.M. का पूरा लाभ उपलब्ध नहीं होना चाहिए था क्योंकि उनकी शैक्षिक योग्यता सुसंगत समय पर अलग थी, लेकिन चूंकि ट्रीब्यूनल ने उन्हें वह लाभ दिया है और वह आदेश अंतिम हो गया है, अपीलकर्ता उस लाभ को नहीं खोएगे, लेकिन किसी भी स्थिति में कथित 1984 के O.M. द्वारा निर्धारित सीमा से परे, वे अनुमानित रूप से या वास्तव वेतनमान में और बढ़ोतरी के हकदार नहीं हैं।

अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमारा ध्यान इस न्यायालय के निर्णय *जयपाल और अन्य आदि बनाम हरयाणा राज्य और अन्य आदि,* [1998] 3 SCC 354 के मामले की ओर आकर्षित कर तर्क प्रस्तुत

किया कि समान कार्य के लिए समान वेतन से इनकार करने के लिए शैक्षणिक योग्यता अपने आप में एक मानदंड नहीं होगी जब कर्मचारियों को अन्यथा समान रूप से परिचालित किया गया है। उक्त निर्णय में रिपोर्ट के पैरा 9 में उल्लेखित किया गया कि स्क्वाड शिक्षकों के पास JBT प्रमाणपत्र थे और उनमें से कई स्नातक थे लेकिन न्यूनतम स्क्वाड शिक्षकों के लिए योग्यता भी मैट्रिक थी। इसी प्रकार प्रशिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक थी लेकिन कई याचिकाकर्ता स्नातक थे उनमें से कुछ JBT प्रमाण पत्र रखने वाले प्रशिक्षित शिक्षक थे। चूंकि कर्मचारियों के इन दो सेटों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता समान थी, उन्हें समान व्यवहार का हकदार माना गया। वर्तमान मामले के तथ्य, जैसा कि हमने पहले देखा है, अलग हैं। सेवा में जमीनी स्तर पर प्रवेश के लिए ट्रेसर्स (1987 से ड्राफ्ट्समैन ग्रेड III के रूप में पुनः नामित) के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, 1987 तक CPWD में उनके समकक्ष ड्राफ्ट्समैन ग्रेड III की शैक्षिक योग्यताआें से भिन्न थीं। इसलिए, उपरोक्त निर्णय, अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील की सहायता नहीं करता है।

इस बिंदु पर चर्चा समाप्त करने से पहले हम अपील के समर्थन में अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रस्तावों का संक्षेप में उल्लेख कर सकते हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि स्वीकार्य रूप से CPWD और CWC ड्राफ्ट्समैन ग्रेड I, II और III को 20 जून 1980 तक समान माना जाता था और 13 मई 1982 से उन्हें समान माना जाता है।

अगर पहले 40 साल तक दोनों बराबर थे और 1982 के बाद आने वाले सभी समय के लिए बराबर हैं, फिर अकेले एक साल और 11 महीने के छोटे अंतराल के दौरान वे असमान कैसे हो सकते हैं? जो सवाल उठाया गया है उसमें यह माना गया है कि 1982 के बाद उनके साथ समान व्यवहार किया जा रहा है। वास्तव में, जैसा कि हमने ऊपर देखा है, 1997 तक योग्यता की दृष्टि से वे समान नहीं थे लेकिन केवल इसलिए कि ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ताओं के पक्ष में एक बिंदु बढ़ाया और उन्हें 1984 के O.M. का लाभ दिया, योग्यता के आधार पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 1982 से पहले भी वे सर्वत्र समान हो गए थे। जहां तक CPWD और CWC ड्राफ्ट्समैन के वेतनमानों में संशोधन के भविष्यवर्ती प्रभाव का सवाल है, क्योंकि वे कम से कम 1987 से योग्यता के अनुसार समान हो गए थे, कम से कम उस समय से उनके वेतनमानों पर भविष्यवर्ती प्रभाव दिया जा रहा था। जहां तक पूर्वव्यापी आवेदन था 1982 और 1987 के बीच अपीलकर्ता CPWD में ड्राफ्ट्समैन की तुलना में असमान रहे और यह केवल 1984 के O.M. के आवेदन के कारण था कि उन्हें ट्रिब्यूनल द्वारा लाभ दिया गया था, जिसे उनके पक्ष में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। जहां तक 1 जनवरी 1973 से तीसरे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान में संशोधन का प्रश्न है CPWD ड्राफ्ट्समैन को दिया गया उक्त संशोधन स्वचालित रूप से CWC में ड्राफ्ट्समैन को प्रदान नहीं दिया जा सका है, जिनकी शैक्षिक योग्यताएँ विवादग्रस्त प्रासंगिक अवधि के दौरान

समान नहीं थीं। कार्य की प्रकृति, कर्तव्यों, कार्यों और जिम्मेदारी समान होने पर आधारित तर्क अपीलकर्ताओं के मामला को समर्थन नहीं देता है क्योंकि, जैसा कि पहले देखा गया था 1987 तक उनकी योग्यताएँ समान नहीं थीं। जैसा कि पहले विचार किया गया है, यह सही है कि केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए कारणों में से एक कारण की ट्रिब्यूनल द्वारा CWC ड्राफ्ट्समैनों को 1978 से 1982 तक संशोधित वेतनमान का लाभ केवल इसलिए देने से इनकार किया गया क्योंकि CPWD के लोग मध्यस्थता बोर्ड के पास गए थे, उचित नहीं है। हालाँकि, ट्रिब्यूनल जिस अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा, उसे इस आधार पर कायम रखा जा सकता है कि योग्यता के आधार पर CWC के ड्राफ्ट्समैन कम से कम निचले स्तर पर CPWD के ड्राफ्ट्समैन की तुलना में स्पष्ट रूप से एक अलग श्रेणी बनाते हैं। यह दलील कि शैक्षिक योग्यता में अंतर एक छोटी अवधि के लिए एक भेदभावपूर्ण कारक नहीं होना चाहिए को इस सरल कारण से माना नहीं जा सकता है, कि अवधि केवल इसलिए कम हो गई क्योंकि ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ताओं के पक्ष में एक बिंदु को बढाकर अल्प अवधि के लिए अंतर को कम करके अपीलकर्ताओं को अनुमानित रूप से और वास्तव में 1982-83 से वेतनमान का पूर्वव्यापी लाभ दिया था, यद्यपि जहां तक CWC में ड्राफ्ट्समैन की शैक्षणिक योग्यता में अंतर का सवाल है, यह निचले स्तर पर भर्ती के लिए 1987 तक रहा। जहां तक CWC ड्राफ्ट्समैन ग्रेड III और CPWD में शैक्षिक योग्यता के आधार पर अंतर पर आधारित

तर्क की बात है, तो हालाँकि, यह तर्क केवल ग्रेड III ड्राफ्ट्समैन तक ही सीमित था, तो जैसा कि हमने पहले देखा है, यहां तक कि पदोन्नति के रास्ते में भी, जहां तक प्रासंगिक समय के दौरान उच्च ग्रेड की पदोन्नति पात्रता की आवश्यकताओं का संबंध था, इसमें स्पष्ट अंतर था। नतीजतन, CWC और CPWD में ड्राफ्ट्समैन के दो कैडरों के बीच इन स्पष्ट विशिष्ट अंतर के प्रकाश में, जो रिकॉर्ड पर अच्छी तरह से स्थापित हैं, मामले को केंद्रीय प्रशासनिक ट्रीब्यूनलको भेजने का कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं हो सकता है, जैसा की इन लिखित प्रस्तुतियों में प्रस्तुत किया गया। अंततः निर्धारण के लिए पहला बिंदु परिणामस्वरूप, अपीलकर्ताओं के विरुद्ध नकारात्मक रूप से और प्रत्यर्थीयों के पक्ष में तय किया गया।

बिंदू संख्या 2

जहां तक इस बिंदु का संबंध है अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील अपने तर्क में बहुत आशावादी थे कि 1984 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार सरकार के अन्य विभागों में कार्यरत ड्राफ्ट्समैनों के वेतनमान में वृद्धि का प्रभाव के सीमित पूर्वव्यापी प्रभाव के बावजूद, केंद्र सरकार के कई विभागों में समान रूप से स्थित ड्राफ्ट्समैन को वास्तविक और अनुमानित दोनों वेतनमानों में वृद्धि के पूर्वव्यापी लाभ भी दिए गए थे, इसलिए कम से कम इस आधार पर अपीलकर्ताओं के साथ भेदभाव किया गया कहा जा सकता है। उक्त तर्क को ट्रिब्यूनल के समक्ष विचार के लिए पहले कभी नहीं रखा

गया था। इसलिए, उक्त तर्क इस न्यायालय के विचार के लिए एक विवादित तथ्यात्मक प्रश्न खड़ा करेगा। लेकिन मामले के इस पहलू को छोड़ भी दें तो प्रत्यर्थीयों के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 की अोर से श्री बी.आर. शर्मा के द्वारा 9 मई 1997 को दायर अतिरिक्त हलफनामे पर निर्भरता कर उक्त तर्क का विरोध करने का प्रयास किया गया है। उक्त शपथ पत्र में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जहां तक अन्य विभागों के कर्मचारियों का सवाल है, ट्रिब्यूनल के विभिन्न आदेशों में प्रत्यर्थीयों को उन्हें उक्त लाभ देने का आदेश किया गया है और जो आदेश अंतिम हो गए हैं। अतः यह स्पष्ट है कि गुण-दोष के आधार पर ट्रिब्यूनल ने अन्य विभागों में संबंधित कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था कि वे CPWD ड्राफ्ट्समैन के समान ही स्थित थे आैर उन विशेष तथ्यों के मददेनजर उन्हें ये राहतें मिलीं थी। वर्तमान मामले में, जैसा कि ट्रिब्यूनल ने स्वयं पाया है, कर्मचारियों की योग्यता की ऐसी समानता अपीलकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं थी। हम यह सराहना करने में विफल रहे हैं कि कैसे अपीलकर्ताओं द्वारा अन्य विभागों के कर्मचारियों के विरूद्ध ट्रिब्यूनल द्वारा उनके मामलों में स्थापित पाई गईं पृथक तथ्यात्मक स्थितियों के आधार पर पारित किये गये न्यायिक आदेशों, या अन्य न्यायिक प्राधिकारियों के आदेशों को वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों में जिसमें वे CPWD में अपने समकक्षों के समान स्थित नहीं हैं, स्वचालित रूप से कभी भी लागू करवाया जा सकता है। परिणामस्वरूप, इस अतिरिक्त आधार पर भी यह नहीं कहा

जा सकता कि प्रत्यर्थीयों द्वारा उन्हें 1984 के O.M. के अनुसार ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए लाभ, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, जो ट्रिब्यूनल द्वारा उनके पक्ष में उक्त राहत को बढाकर उपलब्ध करवाया गया था, के अतिरिक्त अनुमानित और वास्तविक दोनों तरह से संशोधित वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाकर अपीलकर्ताओं के साथ भेदभाव किया गया है। नतीजतन दूसरा तर्क भी गुण-दोष के आधार पर उचित नहीं पाया जाकर खारिज किया जाता है।

उपरोक्त तर्क अपील के समर्थन में प्रचारित किए गए एकमात्र तर्क थे और चूंकि वे विफल रहे तो अपरिहार्य परिणाम यह हुआ कि अपील विफल हो गई और खारिज कर दी गई। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कास्ट के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

N.J.

अपील खारिज

यह अनुवाद आटिफिशियल इंटेलिजेंश टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मोनिका चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्याहारिक और अधिकारिक उदेदश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।